

कार्यालय मुख्य कार्यपालनअधिकारी एवंअधिष्ठाता

(शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मागांधीस्मृतिचिकित्सामहाविद्यालय, इन्दौर

कार्यालय दूरभाषनंबर :- 0731-2527383, 2527679

ईमेल:-deanlibrary@gmail.com

फैक्सनंबर :- 0731-2514628

वेबसाईट :-www.mgmmcindore.in

कमांक / 5730 / स्था / स्वशासी / 2022

इन्दौर ,दि. 8/11/22

// कार्यालय आदेश //

मध्यप्रदेश शासनचिकित्साशिक्षा विभागमंत्रालय भोपाल के ज्ञापकक्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपालदिनांक 07.04.2018 द्वारा म.ग. स्मृतिचिकित्सामहाविद्यालय इन्दौरमेंस्वशासीचिकित्सामहाविद्यालय चिकित्सकीय सेवाआदर्शनियम 2018 एवंसंचालनालय चिकित्साशिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक6066/ स्था/ राज/2018भोपालदिनांक30.11.2018 द्वाराप्राप्तपरिचारिकासंवर्ग की अनुसूचियों के आधारपरस्कूलऑफ एकसीलेंसफॉरआई, इन्दौरकेस्टाफनर्स के हेतुआरक्षितरिक्तपदोंपरएम.पी. आनलाईन के माध्यम से जारीविज्ञापनकेउपरांत एम.पी.ऑनलाईन द्वाराप्रेषितमेरिटलिस्ट के आधारपरपात्र अभ्यर्थियों की सेवाएंस्कूलऑफ एकसीलेंसफॉरआई, इन्दौरमेंस्टाफनर्सकेरिक्तपदोंपर की जानाहै।अतः निम्नलिखितअभ्यर्थियोंकोस्टाफनर्स (स्वशासी) के पद परअनन्तिम रूप से म.प्र. स्वशासीस्कूलऑफ एकसीलेंसफॉरआई, इन्दौर के चिकित्सकीय आदर्शसेवा नियम-2018 के तहतवेतनमान रु. 28700-91300 सातवेतनमानअनुसार (5200-20200+2800 छठवा वेतनमान) कार्यभारग्रहणकरने के दिनांक से आगामीआदेशतकस्कूलऑफ एकसीलेंसफॉरआई, इन्दौरमेंनियुक्तिप्रदान की जातीहै

S/N	NAME	FATHER NAME/ HUSBAND NAME	SCORE	CATEGORY	AGE	SELECTION CATEGORY	REMARK
1	SHILPA DHAKER	HEERA LAL	57	OBC(NON CREAMY LAYER)	28	UR	ELIGIBLE
2	RUCHI PANDEY	SUDAMA PANDEY	56	EWS	24	UR	ELIGIBLE
3	BABY SHIFA KHAN	SARFARAJ KHAN	52	OBC(Non-Creamy Layer)	28	UR	ELIGIBLE
4	SONALI KHARE	RAJENDRA KHARE	50	SC	25	SC	ELIGIBLE
5	MONA BHANDOLE	JAGDISH BHANDOLE	50	SC	24	SC	ELIGIBLE
6	NIDHI KEER	RAJU KEER	49	OBCNON CREAMY LAYER)	25	OBC	ELIGIBLE
7	VANDANA YADAV	RAMKUMAR YADAV	47	OBCNON CREAMY LAYER)	25	OBC -	ELIGIBLE
8	CHHAYA BOPCHE	MANOJ BOPCHE	45	OBCNON CREAMY LAYER	41	OBC	ELIGIBLE
9	KEZIAH	JOSE JOHN	40	EWS	27	EWS	ELIGIBLE
10	DOLLY RAWAL	RATAN LAL RAWAL	39	ST	35	ST	ELIGIBLE
11	MANGLA DHURVE	RAM BHAROSE	39	ST	34	ST	ELIGIBLE
12	VANITA DENIYAL DAWAR	ROBERT DENIAL DAWAR	38	ST	42	ST	ELIGIBLE

आपकीनियुक्तिनिम्नलिखित शर्तों के अधीनहोगी :-

1. मध्यप्रदेश शासनसामान्य प्रशासनविभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपालदिनांक 07 नवम्बर 2000 मेंदियेनिर्देशों के तहतअनारक्षित (ओपन) पदोंपरचयनहेतु निर्धारितमापदण्ड के तहतआरक्षितवर्ग के वेहीआवेदक ऐसेओपनपदोंपरचयनितकियेगयेहैंजोकिहरप्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समानहीबिनाकिसीरियायत के योग्यताप्राप्तकियेहोंकिसीप्रकार की

2. रहनियुक्तिअपिवआरक्षण के संबंध मेंमाननीय उच्चतमन्यायालय/उच्चन्यायालय मेंदायर याचिकाओं के निर्णय के अधीनरहेगी।
3. चयनितप्रत्याशीकोकार्यभारग्रहणकरने के पूर्वअथवाकार्यभारग्रहणकरने के तत्कालपश्चात् जिलाचिकित्सामण्डल के समक्ष उपस्थितहोकरस्वास्थ्य परीक्षणकरानाहोगा एवंस्वस्थ्यताप्रमाण-पत्र प्रस्तुतकरनाहोगा।
4. म.प्र. सिविलसेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियमलागूहोंगे।
5. म.प्र.शासनवित्तविभाग की अधिसूचना कं.एफ-9/3/2005/नियम/चार, दि. 02.04.05 के अनुसारआपपर मध्यप्रदेशसिविलसेवा (पेंशन) नियम 1976 लागूनहींहोंगे। मध्यप्रदेश शासनवित्तविभाग की अधिसूचनाकं. एफ-5/1/2005/नियम/चार,दि.02.04.05 के अनुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियमभीलागूनहींहोंगे।
6. चयनितप्रत्याशीकोआदेशजारीहोने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवसमेंअनिवार्यतः कार्यभारग्रहणकरनाहोगा।कार्यभारग्रहण न करने की दशामेंअनुबंध अनुसारअग्रेतरकार्यवाही की जावेगी।
7. आपकीसेवायेंकिसीभी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिसदेकर या उसके एवजमें एक माह का वेतनतथाभत्तेदेकरसमाप्त की जासकेगी।
8. म.प्र.शासनसामान्य प्रशासनविभागमंत्रालय भोपाल के ज्ञापकमांकसी 3 -13/2019/3/एकमोपालदिनांक 12.12.2019 मेंदियेगयेनिर्देशानुसारइन्हेतीनवर्ष की परीविक्षा अवधि मे उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथमवर्ष70%, द्वतीय वर्ष 80% एवंतृतीय वर्ष 90% राशिस्टायपेंड के रूपमें देय होगी। परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वकपूर्णकरनेपरवेतनमानमेंवेतनदियाजानाप्रारंभकियाजाएगा।
9. आपके द्वाराप्रस्तुतकोईभीप्रमाण-पत्र/अभिलेख गलतपायेजानेपरनियुक्तिआदेशस्वमेवनिरस्तमानाजावेगा।
10. आपकीवरिष्ठतासंस्था की वरिष्ठताकमानुसारहीरहेगी।
11. इस नियुक्तिमेंअनुसूचितजाति/जनजाति/अपिव/महिला के पदों के आरक्षणसंबंधीप्रावधानोंको ध्यानमें रखा गयाहै।
12. आपकीनियुक्ति इस स्वशासीसंस्था के सेवा शर्तों के अधीनहोगी, संस्थाअपनीसेवा शर्तोंमेंआंशिकसुधार एवंपरिवर्तनकरसकेगी।
13. एकबार इस संस्थामेंनियुक्तिहोने के पश्चात् आपकीसेवाएँअन्य संस्थाओंकोस्थानांतरितनहींहोगी।
14. उपस्थितिदिनांककोसंपूर्णप्रमाण-पत्र, उपाधियों एवंअन्य प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँजमाकरनाहोगीतथामूलप्रतियाँप्रस्तुतकरनाहोगी।
15. आपकोकार्यपरउपस्थितहोते समय संलग्नप्रारूपमें 100 रु. के स्टाम्पपर शपथपत्र प्रस्तुतकरनाअनिवार्यहोगा।
16. संस्था के किसीभीकर्मचारीकोराजनैतिकअथवाकिसीभीअवैध गतिविधियोंमेंभागलेने की अनुमतिनहींहै।
17. आपकोकार्यपरउपस्थितहोते समय अथवाउपस्थितदिनांक के 3 माह के भीतरमहाकौशलनर्ससरजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र प्रस्तुतकरनाअनिवार्यहैअन्यथाआपकीसेवायें स्वतः हीसमाप्तमानीजावेगी।
18. चयनितप्रत्याशी की नियुक्तिपुलिसवैरिफिकेशनमेंउपयुक्तपायेजाने के उपरांतहीमान्य होगी।
19. संबंधित का कार्य एवंव्यवहारउचित न पायेजानेपरतथाहडतालआदिमेंभागलेनेपरसेवायेंसमाप्त की जासकेगी।
20. शासन द्वारा समय परदियेगयेनिर्देशानुसारसेवा शर्तों मे परिवर्तनकियेजासकतेहै। यह परिवर्तनवेतनसंबंधी शर्तोंमेंभीहोसकताहै।
21. भविष्य में यदिकभीभीअर्हतासंबंधीकोईभीजानकारीअसत्य पाईजातीहैतोसेवासमाप्त की जासकेगी।
22. आपकोकार्यपरउपस्थितहोते समय जन्मतिथिबाबद् प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यतासंबंधितप्रमाण-पत्र, की छायाप्रति एवंअन्य वांछितप्रमाण-पत्र, दोसेवापुस्तिकातथा रु.3/- का ट्रेजरीचालानप्रस्तुतकरनाहोगा।

मुख्य कार्यपालनअधिकारी एवंअधिष्ठाता
म.गां.स्मू.चिकि.महावि.एवंसम्बद्ध चिकित्सालय,